न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 17/21 वर्ष 2021

GCMS No- 2021/52

बउनवानीः– 1. जकील अहमद पुत्र सगीर अहमद जाति मुसलमान निवासी बौली तहसील बौंली

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम बौंली तहसील बौंली की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 0.59है0 मेसे अवाप्त भूमि 0.49 है0 के स्थान पर सम्पूर्ण. रकबा अवाप्त कर अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री राजेन्द्र यादव वकील प्रार्थी

2. श्री दीपक शर्मा वकील अप्रार्थी 2

–: निर्णय :– दिनांकः– 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम बौंली तहसील बौंली की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 854 रकबा 0.59 है0 मेसे अवाप्त भूमि 0.49 है0 अवाप्त कर अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./2021/181 दिनांक 2.8.2019 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 854 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम बौंली का भी अधिग्रहण किया गया। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे प्रार्थीगण के अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध एवं वास्ता नही है। यह है कि एन.एच.148 के मेप के अनुसार प्रार्थीगण की कुल 0.49 है0 भूमि अवाप्त होनी थी किन्तु 0.59 है0 भूमि अवाप्त की गयी है। इस बाबत दिनांक 3.9.2019 को प्रस्तुत आपत्ति में प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि एवं छूटी हुई भूमि का फोटोग्राफ भी पेश किये गये जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2019 को भा.रा.रा.प्रा. को पत्र लिखा गया। अतः ख0न0 854 रकबा .. है0 का अवार्ड प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत् वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म चाही–1* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विकय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विकय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भूमि ख0न0 854 रकबा 0.59 है0 अवाप्त किया जाकर 0.59 है0 भूमि का अवार्ड राशि 1752441/–रू हितबद्व व्यक्तियो को अपने हिस्से के अनुसार अवार्ड जारी किया गया है जिसमें कि[illegible] की विधिक त्रुटि नही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्य[illegible] होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपना जवाब/बहस में निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

.......(2).......

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है ग्राम बौंली के ख0न0 854 रकबा 0.59 है0 मे से एन.एच.148 के मेप के अनुसार 0.49 है0 भूमि एन.एच.148 के निर्माण हेतु अवाप्त होना बताते हुए है उक्त सड़क निर्माण हेतु 0.49 है0 भूमि अवाप्त किये जाने बाबत निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी के कथन अनुसार एन.एच.148 के निर्माण हेतु ख0न0 854 रकबा 0.59 है0 सम्पूर्ण भाग को अवाप्त किया गया है जिसकी अवार्ड राशि 17,52,441/–रू संबंधित हितबद्व व्यक्तियों (प्रार्थी) को हिस्से अनुसार पारित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन मे कोई विधिक साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उनके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे अंकित तथ्यों/दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी/हितबद्व व्यक्ति के पक्ष मे जारी अवार्ड विधिसम्मत पारित होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner